

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 127]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 30 मार्च 2015—चैत्र 9, शक 1937

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2015

क्र. एफ ए-3-60-2005-1-पांच (08).—मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट इस विभाग की अधिसूचनाओं में, उक्त सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट रीति में तथा सीमा तक संशोधन करती है :—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	अधिसूचना क्रमांक तथा दिनांक (2)	संशोधन (3)
1.	एफ ए-3-88-06-1-पांच (06), दिनांक 21-3-2007	अंक "31-3-2015" के स्थान पर, अंक "31-3-2016" स्थापित किए जाएं.
2.	एफ ए-3-60-05-1-पांच (09), दिनांक 1-4-2007	अंक "31-3-2015" के स्थान पर, अंक "31-3-2016" स्थापित किए जाएं.
3.	एफ ए-5-4-2007-1-पांच (25), दिनांक 27-6-2007	अंक "31-3-2015" के स्थान पर, अंक "31-3-2016" स्थापित किए जाएं.
4.	एफ ए-3-42-07-1-पांच (29), दिनांक 22-9-2007	अंक "31-3-2015" के स्थान पर, अंक "31-3-2016" स्थापित किए जाएं.
5.	एफ ए-3-2-2010-1-पांच (47), दिनांक 1-4-2010	अंक "31-3-2015" के स्थान पर, अंक "31-3-2016" स्थापित किए जाएं.
6.	एफ ए-3-23-2010-1-पांच (92), दिनांक 19-11-2010	अंक "31-3-2015" के स्थान पर, अंक "31-3-2016" स्थापित किए जाएं.

(1)	(2)	(3)
7.	एफ ए-3-11-2011-1-पांच (16), दिनांक 31-3-2011	अंक "31-3-2015" के स्थान पर, अंक "31-3-2016" स्थापित किए जाएं.
8.	एफ ए-3-44-2014-1-पांच (35), दिनांक 13-8-2014	अंक "31-3-2015" के स्थान पर, अंक "31-3-2016" स्थापित किए जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2015

क्र. एफ ए-3-60-2005-1-पांच (08).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-60-2005-1-पांच (08), दिनांक 30 मार्च 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 30th March 2015

No. F. A-3-60-2005-1-V (08).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhinyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby, makes the following amendments in this department's Notifications specified in column (2) of table below to the extent and in the manner specified in column (3) of the said table :—

TABLE

S. No. (1)	Notification No. and date (2)	Amendments (3)
1.	F-A-3-88-06-1-V (06), dated 21-3-2007	For the figures "31-3-2015", the figures "31-3-2016" shall be substituted.
2.	F-A-3-60-05-1-V (09), dated 1-4-2007	For the figures "31-3-2015", the figures "31-3-2016" shall be substituted.
3.	F-A-5-4-2007-1-V (25), dated 27-6-2007	For the figures "31-3-2015", the figures "31-3-2016" shall be substituted.
4.	F-A-3-42-07-1-V (29), dated 22-9-2007	For the figures "31-3-2015", the figures "31-3-2016" shall be substituted.
5.	F-A-3-2-2010-1-V (47), dated 1-4-2010	For the figures "31-3-2015", the figures "31-3-2016" shall be substituted.
6.	F-A-3-23-2010-1-V (92), dated 19-11-2010	For the figures "31-3-2015", the figures "31-3-2016" shall be substituted.
7.	F-A-3-11-2011-1-V (16), dated 31-3-2011	For the figures "31-3-2015", the figures "31-3-2016" shall be substituted.
8.	F-A-3-44-2014-1-V (35), dated 13-8-2014	For the figures "31-3-2015", the figures "31-3-2016" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.